

निर्णय न्यायालय श्री नरेन्द्र कुमार मीना आर0ए0एस0, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट वजीरपुर जिला सवाई माधोपुर।

मुकदमा नम्बर
206/2020

तारीख रजू
10.7.2020

तारीख निर्णय
05/08/2021

1.प्यारेलाल पुत्र श्री रामफल मीना निवासी फुलवाडा तहसील वजीरपुर।

—वादी

बनाम

1.जगमोहन पुत्र आनन्दीलाल जाति मीना निवासी फुलवाडा तहसील वजीरपुर।
2.लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार वजीरपुर।

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत भूमि विभाजन व घोषणा खातेदारी

उपस्थित :- श्री गोपाल लाल शर्मा एडवोकेट वादी की ओर से
श्री रामदयाल त्रिवेदी एडवोकेट प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से

निर्णय

वादी द्वारा वादपत्र इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम फुलवाडा तहसील वजीरपुर में हाल खसरा नम्बर 1073 रकवा 0.83 हैक्टर भूमि स्थित है। उक्त भूमि में वादी प्यारेलाल का 2/3 हिस्सा है और प्रतिवादी जगमोहन का 1/3 हिस्सा है जो रिकार्ड जमाबंदी से स्पष्ट साबित है। अन्य किसी दीगर व्यक्ति का उक्त भूमि से कोई भी सम्बंध नहीं है। मौके पर 2/3 हिस्से को वादी कब्जा काश्त करता चला आ रहा है व 1/3 हिस्से पर प्रतिवादी संख्या 1 काबिज काश्त है। यह कि हाल खसरा नम्बर 1073 नी जाने के लिए खसरा नम्बर 1071 गैरमुमकिन रास्ता बना हुआ है कथित रास्ते को प्रतिवादी जगमोहन ने तोड़कर उस पर काश्त कर ली एवं रास्ते में एक तरफ अवैध पाटौर चढाकर वादी के खेत पर जाने के रास्ते को रोक दिया है। ट्रान्सफार्मर खराब हो जाने पर नया ट्रान्सफार्मर कुएं पर पहुंचाने के लिए वादी को कोई रास्ता नहीं है। वादी ने दिनांक 20.1.2017 को प्रतिवादी संख्या 1 से कहा कि खेत खसरा नम्बर 1073 में मेरा 2/3 हिस्सा है और आपने इस खेत में जाने वाले रास्ते को बिल्कुल बन्द कर दिया है मुझे आने जाने में परेशानी होती है। रास्ते की तरफ से भूमि का अपन दोनो विभाजन करवा लेते है एक तरफ आपकी भूमि हो जावेगी, एक तरफ मेरी हो जावेगी तथा खेत के बीच होकर दोनों का अलग अलग बट हिस्से अनुसार हो जायेगा अपन तहसील में चलकर बटवारा करवा लेते हैं। लेकिन प्रतिवादी ने तहसील में चलने से मना कर दिया और कहा कि मैं बटवारा करवाने कहीं नहीं जाऊंगा और न ही तुझे इस रास्ते से निकलने दूंगा। इसलिए वादी को यह दावा विभाजन का पेश करना आवश्यक हुआ। वादकारण वादी को प्रतिवादी संख्या 1 के खिलाफ दिनांक 20.1.2017 को भूमि पर जाने का रास्ता रोक देने व विभाजन की मना कर देने से पैदा हुआ। अतः दावा वादी स्वीकार कर ग्राम फुलवाडा तहसील वजीरपुर में स्थित भूमि


खसरा नम्बर 1073 रकवा 0.83 हैक्टर भूमि में से 2/3 हिस्से का विभाजन सरस नरस अनुसार कर अलग से वादी के नाम खातेदारी घोषित की जावे। उपरोक्त 2/3 हिस्से को रास्ते के लगवां दिया जावे जिससे वादी अपनी भूमि का उपयोग उपभोग कर सके विभाजन की डिक्री वादी के पक्ष में जारी की जावे।

खाता पृथक किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह वादी को उसके हिस्से 1/3 के कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि के उपयोग उपभोग व कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न नहीं करें। ना ही भूमि को रहन वय करें। यह कि वादकारण दिनांक 15.6.2013 को प्रतिवादीगण 1 ता 4 द्वारा भूमि काश्त नहीं करने देने की धमकी देने पर उत्पन्न हुआ। यह कि दावा अन्दर मियाद है तथा श्रीमान् के क्षेत्राधिकार में हैं, लेण्डहोल्डर आवश्यक पक्षकार मुकदमा है। यह कि प्रतिवादी नं0 6 के यहां भूमि प्रतिवादी नं0 4 द्वारा रहन रखी हुई है इसलिए वह आवश्यक पक्षकार मुकदमा है। यह कि दावा वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस प्रकार डिक्री फरमाया जावे कि आराजी खसरा नं0 77 रकवा 0.26 हैक्टर, 1040 रकवा 0.19 हैक्टर, 2628 रकवा 0.86 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकवा 1.31 हैक्टर वाके ग्राम श्यारौली का मीट्स एवं बाउन्डस के आधार पर विभाजन किया जाकर वादी के हिस्से 1/3 का खाता पृथक किया जावे। लगान सरकार पृथक से कायम किया जावे। आवश्यकता हो तो पृथक से खसरा नम्बर कायम किये जावें तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह वादी को उसके हिस्से की भूमि के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में न तो स्वयं बाधा उत्पन्न करें ना ही किसी अन्य से करावें तथा भूमि को बिना विभाजन रहन वय नहीं करें। यह कि अन्य दादरसी जो न्यायालय उचित समझे वादी को प्रतिवादीगण से दिलाया जावे।

वादी ने अपने वादपत्र के समर्थन में जमाबन्दी संवत् 2070-73 खाता संख्या 276 ग्राम फुलवाडा , व नक्शा ट्रेस पेश किये हैं।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण 1 की और से श्री रामदयाल त्रिवेदी एडवोकेट ने उपस्थित होकर जवाब दावा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 2 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आये उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने जवाब दावा में दावे का चरण संख्या 1 स्वीकार कर बताया कि भूमि हाल खसरा नम्बर 1073 रकवा 0.83 हैक्टर ग्राम फुलवाडा में स्थित है और इस भूमि में वादी प्यारेलाल का हिस्सा 2/3 तथा प्रतिवादी जगमोहन का हिस्सा 1/3 है। अन्य किसी व्यक्ति का उक्त भूमि से कोई सम्बंध वास्ता नहीं है। मौके पर 2/3 हिस्से पर वादी कब्जा काश्त 20 वर्षों से करता चला आ रहा है तथा 1/3 हिस्से पर प्रतिवादी 1 काबिज काश्त है। यह कि दावे का मुद्दा नं0 2 जिस प्रकार तहरीर किया है स्वीकार नहीं है, भूमि खसरा नं0 1073 का मौके पर 50 वर्ष पूर्व से ही विभाजन हो रहा है। भूमि ख0 न0 1073 रकवा 0.83 हैक्टर पूर्व में घरसराम पुत्र नत्थू श्रीमन पुत्र नत्थू तेंदू पुत्र नत्थू की खातेदारी की थी तीनों का 1/3, 1/3, 1/3 हिस्सा था जिसका विभाजन उन तीनों ने बहुत समय पूर्व कर लिया था तेंदू की मृत्यु हो जाने पर भूमि में तेंदू के स्थान पर 1/3 की खातेदार उसकी पत्नि रेशम हो गयी इस प्रकार 1/3 हिस्से पर श्रीमन व 1/3 हिस्से पर रेशम काबिज रही। श्रीमन व रेशम ने अपने अपने मौके पर अलग अलग हो रहे कब्जे की 1/3, 1/3 भूमि अर्थात् 2/3 हिस्से का बेचान प्यारेलाल



[Handwritten signature]

वादी को कर दिया तथा वादी ने मौके पर पूर्व विभाजन के अनुसार काश्त करना शुरू कर दिया घडसराम का हिस्सा पश्चिम दिशा में रास्ते की तरफ था उसने अपना 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 को दिनांक 16.6.2001 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेचान कर दिया। जिसका इन्द्राज रेवन्यु रिकार्ड में हो गया। वादी का यह कहना कि प्रतिवादी ने ख0न0 1071 पर नाजायज कब्जा कर रखा है, व रास्ते पर काश्त कर ली हो गलत है। प्रतिवादी ने रास्ते में कोई पाटोर नहीं चढाई है। वादी का यह कहना गलत है कि वादी का ट्रांसफारमर खराब हो गया हो और उसे पहुचाने का रास्ता नहीं हो। दिनांक 20.1.2017 की घटना कपोल कल्पित है। दिनांक 20.1.2017 को प्रतिवादी गांव में नहीं था वह उस दिन अपनी ड्युटी पर था। प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने जवाब दावा के विशेष विवरण में अंकित किया है कि वादी माननीय न्यायालय में तथ्य छुपाकर आया है, वादी का खसरा नं0 1076, 1077, 1078, 1079 में हिस्सा दर्ज है। खसरा नं0 1076 गैर मुमकिन कूप है कूप पर पहुंचने के लिए खसरा नं0 1077, 1078, 1079 में होकर रास्ता है। इन खेतों से लगता ग्राम खण्डीप से ग्राम मेडी को जाने वाला रास्ता है जो हिण्डौन गंगापुर मुख्य सडक पर खुलता है। वैसे दावा रास्ता सिविल कोर्ट के विचारण का होता है। यह कि मौजूदा दावा प्रतिवादी को महज परेशान करने के लिए किया गया है प्रतिवादी सं0 1 मौके पर हो रहे विभाजन के मुताबिक विभाजन करवाने को हमेशा तैयार है। अतः जवाब दावा पेश कर निवेदन है कि वाद वादी जिस प्रकार वर्णित है खारिज फरमाया जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने जवाब दावा के समर्थन में नकल रजिस्ट्री, नकल जमाबंदी संवत् 2058-2061 खाता सं0 211, नक्शा ट्रेस, आदि पेश किये हैं।

प्रस्तुत दावे में दिनांक 22.12.2017 को तनकीयात कायम की गई तथा साक्ष्य वादी में पी.डब्ल्यू.1 प्यारेलाल व पी.डब्ल्यू.2 राजेन्द्र के बयान दर्ज किये गये तथा साक्ष्य प्रतिवादी में डी. डब्ल्यू.1 जगमोहन के बयान दर्ज किये गये तथा दिनांक 25.5.2018 को उभयपक्षकारान की सहमति से दावा प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार वजीरपुर को 500/- फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर भूमि खसरा नम्बर 1073 रकवा 0.83 हैक्टर ग्राम फुलवाडा की मौके व रिकार्ड अनुसार उभय पक्ष की सहमति से रास्ता दर्शाते हुए विभाजन स्कीम तैयार कर भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया।

प्राथमिक डिक्री में आदेशित अनुसार तहसीलदार वजीरपुर से विभाजन स्कीम प्राप्त हुई जिसके अनुसार :-

1. खसरा नम्बर 1073 रकवा 0.54 हैक्टर प्यारेलाल पुत्र रामफल मीना खातेदार पूर्व दिशा की ओर।
2. खसरा नम्बर 1073/1 रकवा 0.27 हैक्टर जगमोहन पुत्र आनन्दीलाल मीना खातेदार पश्चिम दिशा की ओर।
3. खसरा नम्बर 1073/2 रकवा 0.02 हैक्टर प्यारेलाल पुत्र रामफल मीना हिस्सा 2/3 व जगमोहन पुत्र आनन्दीलाल मीना हिस्सा 1/3 सा.देह खातेदार (पश्चिम में स्थित रास्ते खसरा नं0 1071 से पूर्व दिशा की ओर) शामिल रास्ता किया जाता है। वर्तमान में मौके पर रास्ता नहीं है तथा प्रस्तावित रास्ते में मौके पर पाटोर पोश बनी हुई है।



7/11/17

विभाजन स्कीम प्राप्त होने पर विभाजन स्कीम पर प्रतिवादी द्वारा दिनांक 28.8.2019 को आपत्ति पेश की जिसका जवाब वकील वादी द्वारा दिनांक 09.9.2019 को पेश किया तथा बहस प्रार्थना पत्र उभयपक्ष सुनी गई। प्रार्थी/प्रतिवादी ने प्रार्थना पत्र अनुरूप बहस करते हुए निवेदन किया कि स्कीम में जहां रास्ता बताया गया है वहां दक्षिण दिशा से पूर्व में एक स्थान पर वादी प्यारेलाल की पाटौर बनी हुई है तथा एक स्थान पर पश्चिम में प्रार्थी/प्रतिवादी जगमोहन की पाटौर बनी है इसलिए स्कीम दर्शित रास्ते में आवागमन नहीं हो सकता इसलिए पुनः सही रास्ता दर्शाते हुए स्कीम मगवाई जावे। वकील वादी/अप्रार्थी ने अपनी बहस में बताया कि तहसीलदारजी ने स्कीम सही भेजी है क्योंकि प्रतिवादी ने पाटौरपोश चढा ली है पूर्व में पाटौर नहीं थी इसलिए पाटौर को हटाया जाकर रास्ता निकाला जावे तथा उत्तरदिशा की ओर जाने वाले रास्ते पर सरकारी पुलिया का 30 फिट लम्बा निर्माण हो रहा है इस वजह से रास्ता संभव नहीं है। इस स्कीम अनुसार भूमि का विभाजन कर दिया जावे।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली में प्राप्त विभाजन स्कीम का अवलोकन किया तथा वादी व प्रतिवादीगण द्वारा स्कीम पर दिये गये तर्कों को सुनने के बाद न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि प्रतिवादी द्वारा पाटौर जानबूझकर रास्ता अवरुद्ध करने के लिए बनाई है तथा विभाजन स्कीम सही प्रतीत होती है किन्तु तहसीलदार वजीरपुर से प्राप्त विभाजन स्कीम के बिन्दु संख्या 3 में अंकित खसरा नंबर 1073/2 रकबा 0.02 है० भूमि को प्यारेलाल पुत्र रामफल हिस्सा 2/3 व जगमोहन पुत्र आनन्दीलाल हिस्सा 1/3 जाति मीना की संयुक्त खातेदारी में (पश्चिम में स्थित रास्ते खसरा नं० 1071 से पूर्व दिशा की ओर की) रास्ते के रूप में दर्ज करना बताया है। किन्तु उपरोक्त खसरा नंबर 1073/2 रकबा 0.02 है० को प्यारेलाल पुत्र रामफल हिस्सा 2/3 के नाम ही दर्ज किया जाना उचित समझता हूं एवं विभाजन स्कीम के बिन्दु संख्या 1 में भूमि खसरा नंबर 1073 रकबा 0.54 हैक्टर ग्राम फुलवाडा तहसील वजीरपुर प्यारेलाल पुत्र रामफल मीना की खातेदारी में (पूर्व दिशा की ओर की) में से 0.01 है० भूमि को हजफ कर, बिन्दु संख्या 2 में अंकित भूमि खसरा नंबर 1073/1 रकबा 0.27 हैक्टर ग्राम फुलवाडा तहसील वजीरपुर जगमोहन पुत्र आनन्दीलाल मीना की खातेदारी में (पश्चिम दिशा की ओर की) में दर्ज किया जाना उचित समझता हूं।

आदेश

अतः दावा वादी इस आशय का डिक्री किया जाता है कि :-

1. तहसीलदार वजीरपुर से प्राप्त विभाजन स्कीम के बिन्दु संख्या 3 में अंकित खसरा नंबर 1073/2 रकबा 0.02 है० भूमि को प्यारेलाल पुत्र रामफल हिस्सा 2/3 व जगमोहन पुत्र आनन्दीलाल हिस्सा 1/3 जाति मीना की संयुक्त खातेदारी में (पश्चिम में स्थित रास्ते खसरा नं० 1071 से पूर्व दिशा की ओर की) रास्ते के रूप में दर्ज नहीं करके उपरोक्त खसरा नंबर 1073/2 रकबा 0.02 है० को प्यारेलाल पुत्र रामफल हिस्सा 2/3 के नाम ही दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।




2. विभाजन स्कीम के बिन्दु संख्या 1 में भूमि खसरा नंम्बर 1073 रकवा 0.54 हैक्टर ग्राम फुलवाडा तहसील वजीरपुर प्यारेलाल पुत्र रामफल मीना की खातेदारी में (पूर्व दिशा की ओर की) में से 0.01 है0 भूमि को हजफ कर, बिन्दु संख्या 2 में अंकित भूमि खसरा नंम्बर 1073/1 रकवा 0.27 हैक्टर ग्राम फुलवाडा तहसील वजीरपुर जगमोहन पुत्र आनन्दीलाल मीना की खातेदारी में (पश्चिम दिशा की ओर की) में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में वादी व प्रतिवादी के खाते पृथक-पृथक दर्ज किये जावें। राजस्व लगान पृथक-पृथक किये जावें। विभाजन स्कीम निर्णय का हिस्सा रहेगी। पर्चा डिक्री पृथक से जारी हो।

निर्णय आज दिनांक ५-४-२०२१ को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(
(ज्योती कुमार मीना)
उप जिला कलेक्टर
वजीरपुर

डिकरी व मुकदमे इब्दाई
(ऑर्डर 20, रूल 6-जाब्ता दीवानी)

Judi/Civil
Part IV-10

(Civil Proceede Code, Appendix D-1)

अज अदालत उप जिलाकलेक्टर मुकाम वजीरपुर
इजलास नरेन्द्र कुमार मीना, आर0ए0एस0

उनवान

1. प्यारेलाल पुत्र श्री रामफल मीना निवासी फुलवाडा तहसील वजीरपुर।

—वादी

बनाम

1. जगमोहन पुत्र आनन्दीलाल जाति मीना निवासी फुलवाडा तहसील वजीरपुर।
2. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार वजीरपुर।

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत भूमि विभाजन व घोषणा खातेदारी

उपस्थित :- श्री गोपाल लाल शर्मा एडवोकेट वादी की और से
श्री रामदयाल त्रिवेदी एडवोकेट प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से


मुकदमा नं. -206/2020


यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री गोपाल लाल शर्मा, एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई व श्री रामदयाल त्रिवेदी एडवोकेट मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है दावा वादी इस आशय का डिक्री किया जाता है कि :-

1. तहसीलदार वजीरपुर से प्राप्त विभाजन स्कीम के बिन्दु संख्या 3 में अंकित खसरा नंबर 1073/2 रकबा 0.02 है0 भूमि को प्यारेलाल पुत्र रामफल हिस्सा 2/3 व जगमोहन पुत्र आनन्दीलाल हिस्सा 1/3 जाति मीना की संयुक्त खातेदारी में (पश्चिम में स्थित रास्ते खसरा नं0 1071 से पूर्व दिशा की ओर की) रास्ते के रूप में दर्ज नहीं करके उपरोक्त खसरा नंबर 1073/2 रकबा 0.02 है0 को प्यारेलाल पुत्र रामफल हिस्सा 2/3 के नाम ही दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
2. विभाजन स्कीम के बिन्दु संख्या 1 में भूमि खसरा नंबर 1073 रकबा 0.54 हैक्टर ग्राम फुलवाडा तहसील वजीरपुर प्यारेलाल पुत्र रामफल मीना की खातेदारी में (पूर्व दिशा की ओर की) मे से 0.01 है0 भूमि को हजफ कर, बिन्दु संख्या 2 में अंकित भूमि खसरा नंबर 1073/1 रकबा 0.27 हैक्टर ग्राम फुलवाडा तहसील वजीरपुर जगमोहन पुत्र आनन्दीलाल मीना की खातेदारी में (पश्चिम दिशा की ओर की) में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।


इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में वादी व प्रतिवादी के खाते पृथक-पृथक दर्ज किये जावें। राजस्व लगान पृथक-पृथक किये जावें। विभाजन स्कीम निर्णय का हिस्सा रहेगी।


पर्चा डिक्री आज दिनांक 5.8.2021 को जारी किया गया।


(नरेन्द्र कुमार मीना)
उप जिलाकलेक्टर
वजीरपुर



मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दायलह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक मीजान			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प पर्ची महनतानावकील पर खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक मीजान		




 (नरेन्द्र कुमार मीना)
 उप जिल्हाकलेक्टर
 वजीरपुर

This section contains faint, mostly illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the document. It appears to be a detailed account or report related to the stamp duty mentioned in the table above.

